न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकारं– उत्पाद अधिहरण वाद सं0–85/2017–18 राज्य बनाम चन्दन कुमार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
12.09.2017	*आदेश* पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2528/हि0शा0, दिनांक 09.08.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम –2016 के अन्तर्गत मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 484/2017 दिनांक 15.07.2017 में वादी पु0अ0 नि0 श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक चार चक्का स्विफट डिजायर गाड़ी नं0–BR-09V-5565 पर रखा रॉयल स्टेग कम्पनी का 375 एम0एल0 का 48 (अड़तालिस) बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। जप्त वाहन का उपयोग राज्य में शराब लाकर खरीद–बिक्री किया जा रहा था। उक्त कांड में जप्त वाहन को अधिहरण करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी, तलासी सह जप्ती सूची पुलिस निरीक्षक, सदर खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। विपक्षी चन्दन कुमार पिता–भरत मंडल, ग्राम–सन्हौली, थाना–चित्रगुप्तनगर, जिला–खगड़िया के विरूद्ध ज्ञापांक 263/डी0बी0/ विधि, दिनांक 24.8.2017 से नोटिस निर्गत किया गया तथा डी0बी0 नं0 264 /विधि, दिनांक 24.08.2017 से तामिला हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया को अपने अधिनस्थ थाना के माध्यम से तामिला कराने हेतु भेजा गया । अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 2580 दिनांक 05.09.2017 से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। डी0बी0नं0–253/विधि, दिनांक 18.08.2017 से जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय से गाड़ी निबंधन पंजी से इसका सत्यापन कर गाड़ी मालिक का नाम एवं पता की मांग की गयी। जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के ज्ञापांक 3284/परि, दिनांक 22.08.2017 से वाहन स्वामी का नाम एवं पता प्रतिवेदित किया गया। जिसमें अंकित किया गया कि वाहन संख्या BR09V-5565 चेसिस नं0–MA3EJKD1SOOA48784 MODEL	

Received for SSKAS 21/09/17

SWIFT DZIRE VXI चन्दन कुमार पिता भरत मंडल ग्राम–सन्हौली, W.N.10 जिला–खगड़िया के नाम से पंजीवद्ध है।

विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु वे जानबुझकर प्रक्रिया को बाधित करने के दृष्टिकोण से सुनवाई के प्रक्रम में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि वे न्यायालय की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर न्यायालय की प्रक्रिया को लम्बा कर अंतिम निर्णय से बचना चाहते हैं। इस स्थिति में विपक्षी को सुनवाई का और अधिक अवसर दिया जाना न्यायहित में नहीं है।

पुलिस अधीक्षक खगड़िया के पत्रांक 2528/हि0शा0 दिनांक 09.08.2017 के साथ संलग्न पु0अ0नि0 मुफ्फसिल थाना के अधिहरण प्रस्ताव एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाहन संख्या BR09V-5565 चेसिस नं0–MA3EJKD1SOOA48784 MODEL SWIFT DZIRE VXI जो शराब कारोबार के लिए इश्तेमाल किया जा रहा था, जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गयी जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा 58(2)के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि चार चक्का का स्विफट डिजायर गाड़ी नं0–BR-09V-5565 का इश्तेमाल शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो संदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत वाहन संख्या BR09V-5565 चेसिस नं0–MA3EJKD1SOOA48784 MODEL SWIFT DZIRE VXI मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि :–

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन संख्या BR09V-5565 चेसिस नं0–MA3EJKD1SOOA48784 MODEL SWIFT DZIRE VXI है जो जप्त कर मुफ्फसिल थाना में रखा हुआ है, को बिहार मघ निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किये जाने वाला वाहन किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाए।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन संख्या BR09V-5565 चेसिस नं0– MA3EJKD1SOOA48784 MODEL SWIFT DZIRE VXI का मोटरयान निरीक्षक खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।

3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

19/9/17 समाहर्त्ता, खगड़िया।

19/9/17 समाहर्त्ता, खगड़िया।

ज्ञा० सं० 315/विधि दिनांक 19.9.2017

प्रतिलिपि:- जिला परिवहन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/ आरक्षी अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित, अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

19/9/2017

प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, खगड़िया। 19/9/17